बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना–15, दिनांकः 16.11.26

संख्या–1/पी.–1001/2026–सा.प्र.–20907/श्री अरविन्द कुमार, भा.प्र.से.(2015), अपर सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उपाध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री अरविन्द कुमार, भा.प्र.से. को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 2019 की धारा–6 के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना का उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

16/11/26

(संजय कुमार)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः–1/पी0–1001/2026–सा.प्र.–20907/पटना–15, दिनांकः 16.11.2026

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा–आईटी मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कर्त्तव्य भवन–03, कर्त्तव्य पथ, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कर्त्तव्य भवन–3, कर्त्तव्य पथ, नई दिल्ली/महालेखाकार(ले. एवं ह.), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/अपर सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार लोक भवन, पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/मुख्यमंत्री के सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/संबंधित विभाग/संबंधित कार्यालय/संबंधित पदाधिकारी अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू–संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01 एवं 06 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. **भा.प्र.से.(वेतन) नियमावली,2016 के नियम–12(1) के तहत श्री अरविन्द कुमार, भा.प्र.से.(2015) के पदस्थापनकाल तक के लिए उपाध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के पद को अपर सचिव के समकक्ष घोषित किया जाता है।**

16/11/26

सरकार के विशेष सचिव।